संख्या-63/2550/41-2014-307 सा0/2014

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 02 पुराने शासकीय वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय करने हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग द्वारा धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1032/21-1-1(प्रस्ताव)नजा0-138/2014-15, दि0- 01-10-2014 एवं पत्र संख्या-1112/21-1-1(प्रस्ताव)नजा0-143/2014-15, दि0- 16.10.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 02 पुराने शासकीय वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रू0-14.07 लाख (रूपये चौदह लाख सात हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

1. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. उक्त वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर किया जायेगा।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रसार के मानक मद-16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान-आयोजनागत से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखा शीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान-आयोजनेत्तर-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

http://sinsanadesh.up.nic.in

(4)- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-1235-ई-7/दस-2014, दिनांक-16 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

<u>संख्या-63/2550(1)/41-2014 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) नियंत्रण अनुभाग-7
5- वित्त (आय-व्ययक) नियंत्रण अनुभाग-1
6- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in